भारत सरकार
शक्षा मंत्रालय
स्कूल शक्षा और साक्षरता वभाग

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न संख्या-**1291**
उत्तर देने की तारीख-08/**12**/2025

बिहार में केंद्रीय वद्यालय

†1291. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या शक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) क्या बिहार में अ धकांश केंद्रीय वद्यालय कराए के आवास में चल रहे हैं और अपने भवन के निर्माण के लए जमीन उपलब्ध होने के बावजूद अत्य धक कराया दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कराए के मकानों में चल रहे उक्त स्कूलों की संख्या कतनी है और वे कब से कराए पर चल रहे हैं;

(ग) क्या केंद्रीय वद्यालय संगठन (केवीएस) ने केंद्रीय वद्यालयों के कराये के आवास से संबं धत मामला राज्य सरकार के समक्ष उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या संगठन ने केन्द्रीय वद्यालयों के निर्माण हेतु भू म की उपलब्धता के संबंध में गोपालगंज के जिला मजिस्ट्रेट से कोई पत्राचार कया है अथवा कोई पत्रादि प्राप्त कया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या स्थायी भवन का निर्माण न होने के कारण सरकार को कराए के रूप में अत्य धक रा श का भुगतान करने के लए बाध्य होना पड़ता है और यदि हां, तो वगत पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा कए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ) नए केंद्रीय वद्यालय (के व) खोलने के प्रस्ताव भारत सरकार के मंत्रालयों या वभागों /राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रायोजित कए जा सकते हैं, जिसमें स्थायी भवन के निर्माण के लए आवश्यक मात्रा में उपयुक्त भू म नि:शुल्क उपलब्ध कराने और स्थायी भवन का निर्माण होने तक वद्यालय संचा लत करने के लए उपयुक्त कराया-मुक्त अस्थायी आवास उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता शा मल होगी।

केंद्रीय वद्यालय संगठन (के वसं) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान में, बिहार राज्य में 51 के व कार्यात्मक हैं, जिनमें से 17 के व बिहार सरकार/प्रायोजक प्रा धकरणों द्वारा कराया मुक्त अस्थायी भवन/आवास से कार्यात्मक हैं। के. व.सं. बिहार राज्य में कसी भी केंद्रीय वद्यालय के लए भवन/आवास के लए कोई कराया नहीं दे रहा है। बिहार सरकार को केंद्रीय वद्यालयों के निर्माण के लए भू म देने के संबंध में बार-बार स्मरण कराया जाता है।

के व, गोपालगंज के निर्माण के लए भू म को बिहार सरकार ने जुलाई, 2025 में मंज़ूरी दे दी है और के. व.सं. और ज़िला प्रशासन के बीच पट्टा वलेख पर भी हस्ताक्षर हो गए हैं।

केंद्रीय वद्यालयों के लए स्थायी भवनों का निर्माण एक सतत प्र क्रया है, जो उपयुक्त भू म की पहचान, प्रायोजित करने वाले प्रा धकरण द्वारा के. व.सं. के पक्ष में पट्टे की औपचारिकताएं पूरी करने, निर्माण एजेंसी द्वारा ड्राइंग/आकलन प्रस्तुत करने, नि धयों की उपलब्धता और आवश्यक अनुमोदन आदि पर निर्भर करती है।

*****